न्यायालय अवर न्यायाधीश,प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—89 सन् 2021

सुदामा चन्द्र भूषण..........................वादी।

बनाम

पृथ्वी चंद्र भूषण वगैरह.............................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 17.10.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 19.10.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ दाखिल कर बंटवारा की डिक्री पाने हेतु दाखिल किया है। जायदाद तकरारी सिडियुल नं0 01 अंतर्गत स्थित खाता नं0—1230, 1145, 1157, 1140, 1324, 1328, 1206 वो खेसरा नं0— 2133, 1757, 1758, 1759, 2136, 2137, 1753 को प्रतिवादीगण ने दौरान मुकदमा बिना बंटवारा हुए नाजायज व गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है। जिस तथ्य का संज्ञान वादी ने न्यायालय के समक्ष आवेदन के माध्यम से दिया है। जिस पर विद्वान अदालत ने प्रतिवादीगण के खिलाफ इंतनाई आदेश पारित करते हुए तकरारी एराजी की बिक्री एवं उस पर संरचना व निर्माण कार्य करने से रोक लगा दिया। बदली हुई परिस्थिति में प्रतिवादीगण ता जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से इंतनाई आदेश के बावजूद निर्माण कार्य करने पर तुले हुए हैं। इसलिए उपरोक्त खेसरा नं0 की किसी सक्षम अधिवक्ता आयुक्त द्वारा स्थानीय जांच कराकर तकरारी एराजी का भौतिक स्वरूप अभिलेख पर मंगाना न्यायहीत में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आवेदन में दी गई बिन्दुओं पर अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्ति कर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी सं0—1,02,03 एवं 05 की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक—22.06.2023 को दाखिल कर विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में

वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तु स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक–19.10.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अभिषेक कुमार सिंह को नियुक्ति किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।